राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी—श्री सुखाराम पिण्डेल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या—53/2023

जी0सी0एम0एस0 संख्या— 2023/144

दायर दिनांक— 26.07.2023

निर्णय दिनांक— 06.12..2023

1. आशीष मौर्य पुत्र नेमीचन्द मौर्य जाति रेगर नि0 ग्राम रूपनगढ़ तह0 रूपनगढ़ जिला अजमेर

—प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।

—अप्रार्थी

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान—भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति—1. श्री अरविन्द कुमार दाधीच अधि0 प्रार्थी

2 पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़

—:निर्णयः—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की एकल कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि आराजी खाता सं0 1499 के ख0न0 2249 रकबा 1.4966 है0 भूमि ग्राम रूपनगढ़, पटवार हल्का रूपनगढ़, तहसील रूपनगढ़ में अवस्थित है, जिसमें प्रार्थी का हिस्सा सम्पूर्ण है। राजस्व रिकार्ड अनुसार प्रार्थी का नाम एकल कब्जे—काश्त एवं खातेदारी में दर्ज है। उक्त कृषि भूमि पर प्रार्थी मौके पर काबिज काश्त करता चला आ रहा है तथा प्रार्थी की उक्त भूमि में किसी भी प्रकार से कोई हक, हिस्सा व दखल नहीं है। प्रार्थी की उक्त खातेदारी की कृषि भूमि का राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम होने के बावजूद प्रार्थी व पड़ौसी खातेदारों द्वारा नींव सींव मेड़ को लेकर विवाद ना हो इसलिए पत्थरगढ़ी किया जाना आवश्यक है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थी का नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। अप्रार्थी (पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़) की ओर से प्रकरण में जवाव पेश किया गया। पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा प्रकरण में किसी तरह का कोई राजहित प्रभावित नहीं होना जाहिर किया गया।

हमने वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ की बहस सुनी । वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी व पड़ौसी खातेदारान के मध्य नींव सींव के संबंध में भविष्य में विवाद ना हो इसलिए पत्थरगढ़ी करवाया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करावें। पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ ने अपनी बहस में पैरोकार सरकार के जवाव को ही बहस माने जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.01.09 15:39:36 IST
Reason: SelfAttested

06.12.23

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। तदनुसार प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम रूपनगढ़ के खाता सं0 1499 के ख0न0 2249 रकबा 1.4966 है0 भूमि की पडौसी खातेदारों को सूचित करते हुये उनकी उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिये जाते है। इस हेतु तहसीलदार रूपनगढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर शुल्क की राशि रूपये 1000/– अक्षरे एक हजार रूपये मात्र नियत की जाती है। जिसका मौके पर भुगतान हो। पत्थरगढ़ी शुल्क की राशि रूपये 100/– अक्षरे एक सौ रूपये मात्र जरिये चालान जमा होने पर आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06.12.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

06.12.23

सुखाराम पिण्डेल
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.01.09 15:39:36 IST
Reason: SelfAttested